पत्रांक–योजना बजट–435/2024 34 /प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक 03/01/2025

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल, गया में वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹592.24 लाख (पाँच करोड़ बानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹165.81 लाख (एक करोड़ पैसठ लाख एकासी हजार रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2028–29 तक प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल, गया में वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹592.24 लाख (पाँच करोड़ बानवे लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹165.81 लाख (एक करोड़ पैसठ लाख एकासी हजार रूपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना अन्तर्गत कुल 335 हे० में 368500 पौधे रोपित किये जायेगे। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में अग्रिम कार्य, 2025–26 समापन कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2028–29 तक सम्पोषण कार्य किये जायेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–1210 दिनांक–04.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–101–वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, मांग संख्या–19, उप शीर्ष–0112–प्राकृतिक वनों का विकास, विपत्र कोड–19–2406011010112, विषय शीर्ष–0112.02.01–मजदूरी तथा 0112.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

14. संचिका संख्या–435/2024 के पृष्ठ–04/टि० पर दिनांक–17.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–26.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

15. संचिका संख्या–435/2024 के पृष्ठ–08/टि० पर दिनांक–30.12.2024 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ–09/टि० पर दिनांक–02.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–435/2024– 34 **/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–**03**/01/2025**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–435/2024–34 **/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–**03**/01/2025**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3-1-25
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

<u>गया वन प्रमंडल, गया।</u>

प्राकृतिक [illegible] योजना के तहत गया वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 6 स्थलों पर खण्ड वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में अग्रिम कार्य एवं 2025–26 में समापन कार्य योजना का सारांशः–

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	पौधारोपण स्थल का नाम	रकवा हे0/एकड़	लगाये जाने वाले पौधों की संख्या	पौधारोपण का अग्रिम कार्य वर्ष–2024–25 का प्राक्कलित राशि	पौधारोपण का समापण कार्य वर्ष–2025–26 का प्राक्कलित राशि	प्रथम वर्ष संपोषण कार्य वर्ष–2026–27 का प्राक्कलित राशि	द्वितीय वर्ष संपोषण कार्य वर्ष–2027–28 का प्राक्कलित राशि	तृतीय वर्ष संपोषण कार्य वर्ष–2028–29 का प्राक्कलित राशि	कुल प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Curpa	Lodhway	40	44000	1935716	2110904	1467015	1532940	184065	7230640
2		Gobardaha	45	49500	2334715	2532338	1718029	1795195	368130	8748407
3	Barachatti	Kendua	70	77000	3309870	3284990	2332616	2437465	368130	11733071
4		Sondhia	50	55000	2431746	2334896	1661862	1736559	184065	8349128
5	Imamganj	Nawa, Pindra	70	77000	3432370	3693149	2514290	2274438	368130	12282377
6	Sherghati	Ghaghar,Jamuain	60	66000	3136883	2894908	2363681	2117085	368130	10880687
		Total -	**335**	**368500**	**16581300**	**16851185**	**12057493**	**11893682**	**1840650**	**59224310**

Forwarded by

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल, गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
गया अंचल, गया

वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 1524 दिनांक 15.10.2024 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के पत्रांक 6000, दिनांक 05.10.20244 द्वारा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलनों के सारांश पर वन संरक्षक, गया अंचल, गया की अनुशंसा के आधार **₹ 5,92,24,310/--** (₹ पाँच करोड़ बान्चे लाख चौबीस हजार तीन सौ दस रू0) के तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।